बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, लि0,

"खाद्य भवन", दारोगा राय पथ, आर0ब्लॉक, रोड नं0 2, पटना 800001

कार्यालय आदेश

प्रबंध निदेशक,बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा लिये गये अर्द्ध न्यायिक निर्णय के विरूद्ध विचार हेतु अपीलीय प्राधिकार के गठन के संबंध में।

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को लगभग 8.57 करोड़ लाभुकों के बीच खाद्यान्न वितरण करने की जबाबदेही है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2011–12 से धान एवं गेहूँ के अधिप्राप्ति का कार्य करने के लिए निगम को नोडल अभिकरण बनाया गया है एवं 2013–14 से विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति के तहत राज्य सरकार से प्राप्त ऋण एवं बैकों से लगभग 2000 करोड़ रू0 का ऋण लेकर निगम व्यवसाय करता है। डोर स्टेप डिलेवरी योजना, 2016 के अन्तर्गत भी खाद्यान्न के परिवहन,आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन(Supply Chain Management) के सूचारू रूप से संचालन की जबाबदेही है।

प्रबंध निदेशक के समक्ष ऐसे अनेक मामले होते है जिसमें अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने हेतु निर्णय लेना पड़ता है। उन अर्द्ध न्यायिक निर्णय के विरूद्ध पूर्व से कोई अपीलीय प्राधिकार अधिसूचित नहीं है, जिसके कारण प्रबंध निदेशक के निर्णय के विरूद्ध प्रभावित व्यक्तियों के द्वारा सीधे माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर की जाती है, जिसके कारण निगम को अनावश्यक रूप से मुकदमा झेलना पड़ता है एवं पुनः प्रेषित(Remand) के कारण निर्णय लेने में कठिनाई होती है।

प्रबंध निदेशक द्वारा पारित वैसे अर्द्ध न्यायिक निर्णय के विरूद्ध अपीलीय प्राधिकार का गठन होने से न्यायिक मामले की संख्या कम होगी एवं प्रभावित व्यक्तियों को नैसर्गिक न्याय के तहत अपनी याचना रखने का अवसर भी मिलेगा।

उपर्युक्त के आलोक में बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया–

प्रबंध निदेशक राज्य खाद्य निगम द्वारा पारित वैसे अर्द्ध न्यायिक निर्णय जिसके विरूद्ध पूर्व से नियमावली या निदेशक पर्षद द्वारा कोई अपीलीय प्राधिकार निर्धारित नहीं है, पर विचार करने हेतु निदेशक पर्षद की स्थायी समिति का गठन किया जाय, जिसका स्वरूप निम्न प्रकार होगा–

1. प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं निदेशक
2. प्रधान सचिव/सचिव,खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग एवं निदेशक

परन्तु दोनों में किन्ही प्रबंध निदेशक के प्रभार में रहने की स्थिति में निदेशक पर्षद द्वारा उनके स्थान पर किसी अन्य निदेशक को प्राधिकृत किया जा सकेगा।

निगम निदेशक पर्षद 152वीं बैठक दिनांक 8.3.18 के मद सं0 152.13 में निम्न निर्णय लिया गया–

"Approved, subject to, If any of the two Director is also the Managing Director, then other Director-cum-Special Secretary/Additional Secretary of Food & Consumer Protection Department will be member in place of Managing Director".

उपर्युक्त निर्णय के आलोक में वैसे अर्द्ध न्यायिक निर्णय जिसके विरूद्ध अपीलीय प्राधिकार पूर्व से निर्धारित नहीं है, वैसे मामले में निदेशक पर्षद की स्थायी समिति जिसका स्वरूप निम्न प्रकार होगा– अपीलीय प्राधिकार होगें।

1. प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं निदेशक– सदस्य
2. प्रधान सचिव/सचिव,खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग एवं निदेशक– सदस्य

परन्तुक यदि उपर्युक्त दोनों में से कोई एक प्रबंध निदेशक होने की स्थिति में निदेशक–सह–विशेष सचिव,खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग,बिहार,पटना सदस्य होगें।

17/3/18
प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक–3.02.57.01.18 – 2709 /पटना,दिनांक– 17/03/18

प्रतिलिपि–मुख्य महाप्रबंधक,जन वितरण/अधिप्राप्ति/मुख्य सतर्कता पदाधिकारी/सभी महाप्रबंधक/सभी उप महाप्रबंधक/विपत्र लिपिक/जन सम्पर्क कोषांग/प्रबंध निदेशक कोषांग,निगम मुख्यालय एवं सभी जिला प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम,बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/3/18
प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक–3.02.57.01.18 – 2709 /पटना,दिनांक– 17/03/18

प्रतिलिपि–अपर सचिव,खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग,बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/18
प्रबंध निदेशक